

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप-1

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम/पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	370016283	हीरा सिंह नयाल, प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा	-	महोदय, प्रार्थी के दोनों कुल्हे खराब हैं, जिसे बदलकर उन्हें कृतिम कुल्हे लगाये गये हैं। जिससे प्रार्थी को चलने-फिरने में अत्यधिक कठिनाईयां का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को इस बिमारी के मध्यनजर अपने परिवार की देख-रेख की अत्यन्त आवश्यकता है तथा अल्मोड़ा का मौसम भी अनुकूल है। स्वास्थ्य हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र, जिसमें प्रार्थी को 40 प्रतिशत दिव्यांगत की श्रेणी में रखा गया है, प्रमाण पत्र पत्रांक 257 दिनांक 07.01.2023 संलग्न है। दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या-1 पर अंकित है। अतः प्रार्थी को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7 व 13 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त करते हुए छूट प्रदान की जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- हीरा सिंह नयाल  
पदनाम- प्रधान सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- डी०एस० ह्यांकी,  
पदनाम- मुख्य अभियन्ता